


51

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र ग्वालियर

प्र.क / विविध

विविध - 9213 - 116



1. रन्नु देवी पत्नी स्व. श्री रामगोपाल सिंह उम्र 60 वर्ष पेशा घरू कार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र।
2. शांतनु सिंह तनय श्री दमईलाल सिंह उम्र लगभग 53 वर्ष पेशा कृषि कार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र।

आवेदकगण

पी.के. तिकारी (पु.)  
24-10-16

बनाम

सुगनी देवी पत्नी श्री जगदीश सिंह उम्र लगभग 60 वर्ष पेशा गृहकार्य निवासी ग्राम तेंदुनी तहसील जवा जिला रीवा म.प्र।

अनावेदकगण

359  
24-10-16

24-10-16

Am  
24-10-16

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152 सी.पी.सी एवं सहपठित धारा 32 म.प्र भू.रा.संहिता प्र. क 3268/II /2016 आदेश दिनांक 26.09.2016 में हुई त्रुटियों को संशोधित करनें बावत्।

महोदय,

श्रीमान जी के समक्ष आवेदन पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है।

1. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण 3268/II /2016 निगरानी में दिनांक 26.09.2016 को अंतिम आदेश पारित किया गया है। जिसमें निम्न लिखित टंकण त्रुटिया पेश हो गयी है।
  - I. यह कि आदेश के द्वितीय पैरा की छठवी,दसवी,बारहवी एवं चौदहवी लाईन में अनावेदक अंकित हो गया है जो कि सही अनावेदिका है।
  - II. यह कि आदेश के द्वितीय पेज के प्रथम पैरा की तृतीय लाईन में नन्नु अंकित हो गया है जो कि रन्नु सही है।
  - III. यह कि आदेश के द्वितीय पेज के द्वितीय पैरा की दूसरी लाईन में अनावेरिदका अंकित हो गया है जो कि अनावेदिका सही है।
  - IV. यह कि आदेश के तृतीय पेज के अंतिम पैरा की तृतीय लाइन में आदेश दिनांक 09.06.2016 अंकित हो गया है जो कि 09.09.2016 सही है।

M

Am  
24-10-16

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक विविध 9213-दो/2016

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-11-2015	<p>श्री पी०के० तिवारी अभिभाषक द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी०पी०सी० एवं सहपठित धारा 32 म०प्र० भू-राजस्व संहिता का पेश कर अनुरोध किया कि निगरानी प्रकरण क्रमांक 3268-दो/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 26-9-2016 में कई टायपिंग त्रुटि हो गई हैं अतः उक्त टायपिंग त्रुटि में सुधार किया जाये।</p> <p>2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में इस न्यायालय के मूल निगरानी प्रकरण का अवलोकन किया गया। विचारोपरांत मूल निगरानी के आदेश में हुई त्रुटि में सुधार करते हुये निगरानी प्रकरण क्रमांक 3268-दो/2016 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 26-9-2016 में आदेश के द्वितीय पेज के प्रथम पैरा की छठी लाईन में नन्नु के स्थान पर रन्नू तथा आदेश के अंतिम पैरा की तीसरी लाईन में आदेश दिनांक 09-6-2016 के स्थान पर 09-09-2016 पढ़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका मूल आदेश का अंग होगी। आवेदक अभिभाषक द्वारा दर्शित अन्य त्रुटियों से प्रकरण के निष्कर्ष पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं होता है।</p>	

M

  
सदस्य